न्यायालय, समाहर्त्ता–सह–जिलादण्डाधिकारी, खगड़िया

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–04/2016–17

राज्य बनाम रितु कुमारी एवं अन्य

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की ग कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख–स 3.
16.05.2017	**आदेश** बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–58 के अंतर्गत प्रश्नगत वाद मानसी थाना कांड संख्या–242/2016, दिनांक–08.12.2016 से उद्‌भूत है तथा थानाध्यक्ष, मानसी द्वारा समर्पित प्रस्ताव एवं पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 592, दिनांक 21.02.2017 पर आधरित है। पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के प्रस्ताव पत्र के साथ प्राथमिकी की प्रति तथा तालाशी–सह–जप्ती सूची की प्रति संलग्न है। अभिलेख में पुलिस अधीक्षक, खगड़िया द्वारा निर्गत प्रतिवेदन दो एवं तीन की छायाप्रति भी संलग्न है। थानाध्यक्ष, मानसी के प्रस्ताव में उल्लेख से स्पष्ट है कि दिनांक–08.12.2016 को मानसी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम–ठाठा में अवस्थित शिव मंदिर के नजदीक बिना नम्बर की एक उजली रंग की इंडिगो गाड़ी चेचिस नं0–एम0एम0टी0601484ई.पी.एन0 31144 व इंजन नं0–14सी.आर.ए.1एल0भी0वाई.डब्लु–10355 को विदेशी शराब के साथ विपक्षी सहित तीन लोगों के साथ पकड़ा गया था। थाना प्रभारी के प्रस्ताव में स्पष्ट अंकित है कि अनुसंधान के क्रम में ज्ञात हुआ कि बिना नम्बर की इंडिगो कार के स्वामी का नाम रितु कुमारी, पति–अभय कुमार, ग्राम–सिंघमा, थाना–मटिहानी, जिला–बेगूसराय है। अभिलेख में संलग्न वाहन विक्रय से संबंधित Form-21 (Sale Certificate) से भी स्पष्ट है कि प्रश्नगत वाहन रितु कुमारी के नाम से विक्रय किया गया है। थानाध्यक्ष, मानसी के प्रस्ताव में उल्लेख है कि उक्त वाहन मानसी थाना परिसर में रखा गया है। अभिलेख में संलग्न जप्ती सूची के अनुसार घटना के समय प्रश्नगत वाहन से एक काले रंग की बैग में 750ml का 28 बोतल एक काले रंग के बैग में 750ml का 25 बोतल एवं एक काले रंग के बैग में 750ml का 09 बोतल तथा 375 ml का 21 बोतल Royal Stag Company का विदेशी शराब जप्त किया गया है। सभी शराब के बोतलों पर Only for sale in Chhattisgarh लिखा हुआ है। जप्त सामग्री के उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के टिप्पणी तारीख
1.	02.	3.

प्रश्नगत वाहन का उपयोग विदेशी शराब के संचालन के लिए किया गया है, फलस्वरूप बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अंतर्गत अधिहरण की कार्रवाई करते हुए विपक्षी को वाद की सुनवाई में भाग लेने हेतु नोटिस किया गया। सूचना संसूचन की दृष्टि से वाद की सुनवाई की तिथि स्पष्ट करते हुए दिनांक–07.04.2017 के दैनिक हिन्दुस्तान समाचार–पत्र के संस्करण में भी विज्ञापन प्रकाशित कराया गया। विपक्षी रितु कुमारी (वाहन स्वामी) अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुई तथा उनके अधिवक्ता द्वारा 25.04.2017 द्वारा हस्ताक्षरित आपत्ति आवेदन न्यायालय में समर्पित किया गया।

विपक्षी के आपत्ति आवेदन में आरोप से इंकार किया गया है कि प्रश्नगत वाहन से विदेशी शराब की कोई बरामदगी हुई थी। आपत्ति आवेदन में अन्य सरसरी तथ्यों के साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्राथमिकी के विवरण के अनुसार उनके पति अभय कुमार की गिरफ्तारी नहीं की गई है इसलिए सम्पूर्ण वाद संदेहात्मक है।

सुनवाई के क्रम में विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता इस प्रश्न का भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके कि खरीदे जाने के डेढ़ माह बाद भी उक्त वाहन बिना निबंधन के क्यों था?

सुनवाई के क्रम में विशेष अभियोजक द्वारा इस कांड में विधिवत की गई जप्ती एवं प्रश्नगत वाहन से विदेशी शराब की मात्रा का उल्लेख करते हुए अधिनियम की धारा–58(2) के अंतर्गत प्रश्नगत वाहन को अधिहरण योग्य बताया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि सभी प्रतिवेदनों से स्पष्ट है कि वाहन का उपयोग विदेशी शराब के आवागमन हेतु किया जा रहा था, जो संज्ञेय अपराध है।

इस प्रकार जप्ती सूची सहित सभी प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा प्रश्नगत वाहन का उपयोग ईरादतन विदेशी शराब के कारोबार/इस्तेमाल हेतु किया जा रहा था, जो वर्तमान में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत एक संज्ञेय अपराध है तथ इसमें प्रयुक्त वाहन अधिहरण योग्य है।

विपक्षी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया, परन्तु सुनवाई के समय आपत्ति आवेदन में वर्णित तथ्यों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रभावी तथ्य का उल्लेख विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा नहीं किया गया है। आपत्ति आवेदन तथा बहस के दौरान विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

उभय पक्षों की बहस तथा अभिलेख के अवलोकन के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि वर्णित वाहन बिना नम्बर की इंडिगो

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख- 3
	कार चेचिस नं0–एम0एम0टी0601484ई.पी.एन031144 व इंजन नं0–14सी.आर.ए.1एल0भी0वाई डब्लु–10355 बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अंतर्गत अधिहरण किये जाने योग्य है। अतः निम्न आदेश दिया जाता हैं :–	
	1. इस अपराध में प्रयुक्त वाहन बिना नम्बर की इंडिगो कार चेचिस नं0–एम0एम0टी0601484ई.पी.एन031144 व इंजन नं0–14सी.आर.ए. 1एल0भी0वाई डब्लु–10355 जो जप्त कर मानसी थाना में रखा हुआ है, का बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) के अंतर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किया जाने वाला वाहन किसी भी ऋण भार से मुक्त होगा। साथ ही लोकहित में यह भी आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा 58(5) के अंतर्गत सार्वजनिक निलामी के माध्यम से इसकी बिक्री किया जाय।	
	2. जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि वे थाना में जप्त वाहन बिना नम्बर की इंडिगो कार चेचिस नं0-एम0एम0टी0601484ई.पी.एन031144 व इंजन नं0–14सी.आर.ए. 1एल0भी0वाई डब्लु–10355 को मोटरयान निरीक्षक के माध्यम से मुआईना कराकर उसका मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन दिनों के अंदर समर्पित करेंगे।	
	3. सार्वजनिक नीलामी की कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया की देखरेख में की जायेगी और नीलामी से प्राप्त धन राशि सरकारी खजाने में विहित रीति से जमा की जायेगी।	
	लेखापित एवं संशोधित समाहर्त्ता, खगड़िया। 16/5/17 न्यायालय समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी खगड़िया (बिहार) समाहर्त्ता, खगड़िया। 16/5/17	